



## छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

एल.आई.सी. परिसर, पण्डरी, रायपुर- 492004 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष कार्यालय-2583789-90, फ़ैक्स: 0771-2583794

Website: www.csidc.in, Email address: csidc.cg@nic.in, csidc\_raipur@yahoo.com

### अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 03/तक-4/2010-11/

रायपुर, दिनांक 29/04/2010

मुहरबंद निविदाये फार्म "ए" (प्रतिशत दर) पर इस निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता, छ.ग. लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा दिनांक 01/06/2009 से बिल्डिंग एस.ओ.आर. पर निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 19/05/2010 अपरान्ह 3.00 बजे तक सी.एस.आई.डी.सी. पण्डरी, तकनीकी-4 कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाये उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

स.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी
1.	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा जिला रायपुर में आर.आर. मेसनरी सतही नाली का निर्माण कार्य। सड़क क्र.-1, 2,4,7	80.33	60300/-	3000/-	4 माह, वर्षा ऋतु छोड़कर	अ-3 एवं इससे ऊपर
2.	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा जिला रायपुर में आर.आर. मेसनरी सतही नाली का निर्माण कार्य। सड़क क्र.-3, 5 तथा 7 का भाग	50.41	37810/-	3000/-	4 माह, वर्षा ऋतु छोड़कर	अ-3 एवं इससे ऊपर
3.	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा जिला रायपुर में आर.आर. मेसनरी सतही नाली का निर्माण कार्य। सड़क क्र.-8,9,10 तथा 3 एवं 5 का भाग	71.46	53600/-	3000/-	4 माह, वर्षा ऋतु छोड़कर	अ-3 एवं इससे ऊपर

#### शर्तें :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता तक-4 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद भुगतान कर दिनांक 18/05/2010 अपरान्ह 2.00 बजे तक मुख्यालय पण्डरी, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (2) कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- (3) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता हेतु उपरोक्त कार्यों के लिये प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत के बराबर का एवं समान प्रकार का कार्य विगत तीन वर्षों में एक ही अनुबंध में निर्धारित समयावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से सत्यापित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका रखरखाव 01 वर्ष तक करना अनिवार्य होगा इस हेतु 5 प्रतिशत परफार्मेंस गारंटी की राशि अतिरिक्त रोकी जाएगी।
- (5) खुदाई से प्राप्त मिट्टी के परिवहन हेतु प्रमुख अभियंता, छ.ग. लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 01/04/2009 से प्रभावशील रोड एस.ओ.आर. लागू होगा जिसका दर निविदा में पृथक से देना होगा।
- (6) निविदा आवेदन के साथ वाणिज्यिक कर चुकता प्रमाण पत्र, जीवित पंजीयन एवं जीवित सालवेंसी एवं टर्न ओव्हर की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (7) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा-3(1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction work) पर 1 प्रतिशत उपकर (सेस) देय होगा, देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जायेगी।
- (8) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता  
(तक-4)